म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–6/नि./उपविधि संशो./36/पार्ट–4/690 भोपाल, दिनांक 05/12/2018

–:: आदेश ::–

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रदेश की कृषि उपज मण्डियो मे अधिसूचित कृषि उपजो की बेहतर नियमन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से कृषि उपज मण्डी समिति से यह अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समिति का सम्मेलन आहूत कर, फल सब्जी विपणन के लिए उपविधि सन् 2000 मे निम्नानुसार संशोधन कर नवीन उपबंध अनिवार्य रूप से स्थापित करे :–

क्र	उपविधि कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2(ठ)	'अनुबन्ध' से अभिप्रेत है अधिसूचित कृषि उपज के क्रय–विक्रय का लिखित करार जो मण्डी समिति मे पदस्थ कर्मचारी द्वारा सम्पन्न कराया जाए।	'अनुबन्ध' से अभिप्रेत है अधिसूचित कृषि उपज के क्रय– विक्रय का लिखित करार जो मण्डी समिति मे पदस्थ कर्मचारी/ अनुज्ञप्तिधारी आढतिया द्वारा सम्पन्न कराया जावे।
2	2(व)	आढतिया परिभाषित नही है	'आढ़तिया' (कमीशन एजेन्ट) से अभिप्रेत है कि, ऐसा कृत्यकारी जो मण्डी प्रांगण मे विक्रय हेतु लाई गई कृषि उपज को विक्रय हेतु उचित स्थल पर उतरवाये, खुले घोष विक्रय के माध्यम से उपज विक्रेता की सहमति से अधिकतम मूल्य पर विक्रय करे, उपज तौल के पश्चात् तत्समय विक्रेता को उपज का भुगतान करें। विक्रीत उपज का उठाव होने तक रख रखाव सुनिश्चित करे।
3	4(4)	घोष विक्रय द्वारा मूल्य तय होने के पश्चात् कमीशन एजेंट, द्वारा क्रेता एवं विक्रेता के पक्ष मे क्रमशः सफेद, हरा, गुलाबी, एवं पीले रंग की चार प्रतियो मे अनुबन्ध निष्पादित किया जावेगा। सफेद प्रति मूल प्रति होगी जो मण्डी के अभिलेख मे रहेगी। शेष नीचे की तीन प्रति मे से हरे रंग की प्रति विक्रेता को तथा गुलाबी रंग की प्रति क्रेता की दी जायेगी, पीली प्रति कमीशन एजेंट अपने पास रखेगा। अनुबन्ध प्ररूप–एक मे निष्पादित किया जावेगा। अनुबन्ध पत्र पर कमीशन एजेंट के हस्ताक्षार अनिवार्य होगे।	घोष विक्रय द्वारा मूल्य तय होने के पश्चात्, कमीशन एजेंट द्वारा पंजी मे विक्रीत दर अंकित की जावेगी, जिसका उल्लेख भुगतान के समय जारी किये जाने वाले प्ररूप मे जो सफेद, हरा, गुलाबी एवं पीले रंग की चार प्रतियों मे होगा मे किया जावेगा। सफेद प्रति मूल प्रति होगी जो मण्डी के अभिलेख मे रहेगी। शेष नीचे तीन प्रति मे से हरे रंग की प्रति विक्रेता को तथा गुलाबी रंग की प्रति क्रेता को दी जाएगी, पीली प्रति कमीशन एजेन्ट अपने पास रखेगा। अनुबन्ध/ तौल/ भुगतान एवं बिल प्ररूप–एक मे निष्पादित किया जावेगा। प्ररूप पर कमीशन ऐजेन्ट एवं विक्रेता के हस्ताक्षर अनिवार्य होगे।
4	5(1)	अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के निष्पादन के पश्चात की प्रकिया:– अनुबन्ध पत्रक द्वारा क्रय की गई कृषि उपज की तौल या माप अनुज्ञप्तिधारी कृत्यकारी द्वारा मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण मे की जाएगी।	विक्रीत कृषि उपज का तौल या माप अनुज्ञप्तिधारी कृत्यकारी द्वारा मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण मे किया जावेगा। मंडी समिति द्वारा स्थापित तौल कांटो की तौल पर्ची को भी मान्य किया जायेगा।

5	5(3)	अनुबन्ध पत्रक/सौदा पत्रक के आधार पर कमीशन एजेन्ट द्वारा केता तथा विकेता के पक्ष मे कमशः सफेद, हरा, गुलाबी एवं पीला रंग की चार पर्चियों मे भुगतान पत्रक निष्पादित किया जायेगा। प्ररूप–तीन सफेद प्रति मूल प्रति होगी, जो कमीशन एजेन्ट के पास रहेगी शेष नीचे की तीन प्रतियो मे से हरे रंग की प्रति विकेता को, गुलाबी रंग की प्रति मंडी समिति को आगामी कार्य दिवस मे प्रस्तुत की जावेगी। पीले रंग की प्रति केता को दी जायेगी।	तौल के पश्चात् कमीशन ऐजेन्ट द्वारा केता तथा विकेता के पक्ष मे कमशः सफेद, हरा, गुलाबी एवं पीला रंग की चार पर्चियो में अनुबन्ध/ तौल/भुगतान पत्रक निष्पादित किया जावेगा। प्ररूप–एक सफेद प्रति मूल प्रति होगी जो मण्डी मे अगले कार्य दिवस मे प्रस्तुत की जावेगी। शेष नीचे की तीन प्रति मे से हरे रंग की प्रति विकेता को तथा गुलाबी रंग की प्रति केता को दी जायेगी। पीली प्रति कमीशन एजेन्ट अपने पास रखेगा।
6	5(4)	फल अथवा सब्जी के कय विकय पर कमीशन एजेन्ट द्वारा फल सब्जी के विकय मूल्य का 02 प्रतिशत की दर से कमीशन नियोक्ता व्यापारी से प्राप्त किया जावेगा। मण्डी फीस कमीशन एजेन्ट द्वारा केता व्यापारी से वसूल की जायगी तथा मण्डी समिति मे जमा की जाएगी।	फल सब्जी के कय– विकय पर कमीशन एजेन्ट द्वारा फल सब्जी के विकय मूल्य का वर्तमान मे लागू 2 प्रतिशत की दर से कमीशन नियोक्ता व्यापारी से प्राप्त किया जावेगा। मण्डी फीस केता व्यापारी द्वारा उपज निकासी के समय मण्डी समिति द्वारा नियत किये गये स्थान पर जमा की जायेगी।
7	8(5)	मण्डी फीस उद्ग्रहणः– मण्डी फीस कृषि उपज के केता से उद्ग्रहीत की जायेगी और विकेता को संदेय कीमत में से नही काटी जायेगी। परन्तु जहां किसी अधिसूचित कृषि उपज का केता पहचाना ना जा सके वहां समस्त फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगी जिसने की उपज को बेचा हो या जो उपज को मण्डी क्षेत्र मे विकय के लिये लाया हो, यह और की कमीशन एजेन्ट द्वारा संव्यवहार कराने की दशा में मण्डी फीस कमीशन एजेन्ट द्वारा संग्रहित की जायेगी तथा मण्डी समिति कार्यालय में जमा की जायेगी परन्तु यह भी कि वाणिज्यिक संव्यवहार के लिये या प्रसंस्करण के लिये मण्डी क्षेत्र मे लाई गई कृषि उपज पर मण्डी फीस यथा स्थिति, केता या प्रसंस्करणकर्ता द्वारा उस दशा मे मण्डी समिति के कार्यालय मे चौदह दिन के भीतर जमा की जायेगी, यदि केता या प्रसंस्करणकर्ता ने धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन जारी किया गया अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नही किया है।	मण्डी फीस कृषि उपज के केता से उद्ग्रहित की जायेगी और विकेता को संदेय कीमत मे से नही काटी जायेगी। परन्तु जहां किसी कृषि उपज का केता पहचाना ना जा सके वहां समस्त फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगी जिसने उपज को बेचा हो या उस उपज को मण्डी प्रांगण मे विकय के लिये लाया हो, ओर यह कि कमीशन एजेन्ट द्वारा संव्यवहार कराने की दशा मे मण्डी फीस केता व्यापारी द्वारा मण्डी समिति मे उपज निकासी के पूर्व या निकासी के समय जमा की जावेगी। परन्तु वाणिज्यिक संव्यवहार के लिये या प्रंसस्करण के लिये मण्डी प्रांगण/क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज पर मण्डी फीस यथा स्थिति केता या प्रसंस्करण कर्ता द्वारा उस दशा मे मण्डी समिति के कार्यालय मे चौदह दिन के भीतर जमा की जायेगी, यदि केता या प्रसंस्करण कर्ता ने धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन जारी किया गया अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नही किया है।
8	8(8)	पाक्षिक विवरण प्रारूप दस 'क' एवं दस 'ख' कमीशन एजेन्ट लायसेसधारियो के लिये है, बारह 'क' एवं बारह 'ख' प्रारूप प्रसंस्करणकर्ताओं के लिये है (पाक्षिक विवरण प्रत्येक माह की 1 तारीख से 15 तारीख तक का 25 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा एवं प्रत्येक माह की 16	कमीशन एजेन्ट द्वारा प्रतिदिन निष्पादित किये गये अनुबन्ध/तौल/भुगतान/बिल का विवरण निर्धारित प्ररूप में अगले कार्य दिवस में मण्डी कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमे उपज लाने वाले कृषक /विकेता का नाम एवं केता व्यापारी का नाम तथा वजन व मूल्य का उल्लेख होगा।

		तारीख से अंतिम तारीख तक का पाक्षिक पत्रक आगामी माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा।) अनुज्ञापत्र की सूची भी उसी समयावधि की होगी जिस समयावधि का विवरण पत्रक है। जैसा कि प्रारूप में स्पष्ट है, प्रत्येक जिन्स के विषय में पूरी–पूरी जानकारी पाक्षिक विवरण पत्रक में दर्ज की जायेगी पाक्षिक विवरण पत्रको का मिलान अनुबंध, बिकी प्रमाणक एवं अनुज्ञापत्र पंजी से किया जायेगा। विशेष रूप से यदि अनुज्ञापत्र समयावधि अर्थात 14 दिवस मे प्रस्तुत नही किये गये है तब पन्द्रहवे दिन या उसके पश्चात ब्याज सहित मण्डी फीस वसूल की जायेगी। समय पर विवरण पत्रक प्राप्त नही होने का तत्कालिक प्रभाव यह होगा कि उस कमीशन एजेन्ट/फर्म को अनुज्ञापत्र जारी नही किया जायेगा। कृषि उपज के निर्गमन, विकय, प्रसंस्करण के पूर्व मण्डी फीस जमा/वसूल करना आवश्यक है इसके विवरण प्रारूप–दस 'क', 'ख' एवं प्रारूप–ग्यारह 'क', 'ख' मे कमीशन एजेन्ट/प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पाक्षिक प्रतिवेदन मे किया जायेगा व्यापारी एवं कमीशन एजेन्ट को प्रारूप–तेरह(क) एवं तेरह(ख) मे प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व विवरणीयां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज को यथास्थिति निर्गमित किए जाने के पूर्व अथवा उसे कय किये जाने/ प्रसंस्करण के लिए लाए जाने से चौदह दिवस में मंडी फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा।	आढ़तियों से केता व्यापारियो के द्वारा किये गये कय–विकय का पाक्षिक विवरण प्रारूप दस 'क' एवं दस 'ख' केता व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। प्ररूप ग्यारह 'क' एवं ग्यारह 'ख' प्रसंस्करणकर्ताओं के लिये है (पाक्षिक विवरण प्रत्येक माह की 1 तारीख से 15 तारीख तक का 25 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा एवं प्रत्येक माह की 16 तारीख से अंतिम तारीख तक का पाक्षिक पत्रक आगामी माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा।) अनुज्ञापत्र की सूची भी उसी समयावधि की होगी जिस समयावधि का विवरण पत्रक है। जैसा कि प्रारूप में स्पष्ट है, प्रत्येक जिन्स के विषय में पूरी–पूरी जानकारी पाक्षिक विवरण पत्रक में दर्ज की जायेगी पाक्षिक विवरण पत्रको का मिलान अनुबंध, बिकी प्रमाणक एवं अनुज्ञापत्र पंजी से किया जायेगा। विशेष रूप से यदि अनुज्ञापत्र समयावधि अर्थात 14 दिवस मे प्रस्तुत नही किये गये है तब पन्द्रहवे दिन या उसके पश्चात ब्याज सहित मण्डी फीस वसूल की जायेगी। समय पर विवरण पत्रक प्राप्त नही होने का तत्कालिक प्रभाव यह होगा कि उस कमीशन एजेन्ट/फर्म को अनुज्ञापत्र जारी नही किया जायेगा। कृषि उपज के निर्गमन, विकय, प्रसंस्करण के पूर्व मण्डी फीस जमा/वसूल करना आवश्यक है इसके विवरण प्ररूप–दस 'क', 'ख' एवं प्ररूप–ग्यारह 'क', 'ख' मे आढ़तियो से केता फर्म/प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पाक्षिक प्रतिवेदन मे किया जायेगा व्यापारी एवं कमीशन एजेन्ट को प्रारूप–तेरह(क) एवं तेरह(ख) मे प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व विवरणीयां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज को यथास्थिति निर्गमित किए जाने के पूर्व अथवा उसे कय किये जाने/ प्रसंस्करण के लिए लाए जाने से चौदह दिवस में मंडी फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

कृषि उपज मंडी समिति.................... जिला.............................(म.प्र)

{प्ररूप–एक (यथा संशोधित)}
अनुबंध/तौल/भुगतान पत्रक
(उपविधि की कण्डिका 4(4),4(5)(2),4(5)(3)) के अन्तर्गत

पुस्तिका कं........... सरल कं............

1. दिनांक ....
2. केता/कमीशन एजेंट नाम एवं लायसेंस नम्बर........................ मोबाइल नं...........................
3. विकेता/कृषक का नाम........................पता..........................

कृषि उपज का नाम	अनुबंध/सौदा मात्रा	तौल के आधार पर वास्तविक वजन	दर	कृषि उपज का मूल्य
1	2	3	4	5

कुल कीमत	तुलाई/हम्माली कटौत्रा	शुद्ध देय रकम	विकेता/कृषक को भुगतान	
			नगद भुगतान राशि	आरटीजीएस/एनईएफटी/ऑनलाईन बैंकिंग से भुगतान राशि यूटीआर विवरण
6	7	8	9	10

केता/कमीशन एजेन्ट के हस्ताक्षर

विकेता/कृषक के भुगतान प्राप्ति के हस्ताक्षर

नोटः–(1) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2) (क) मंडी प्रांगण में कय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विकेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किया जायेगा, धारा 37(2) (ख) के अधीन भुगतान नही करता हैं तो वह विकेता को देय कृषि उपज की कुल कीमत के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान पॉच दिन के भीतर करने का दायी होगा धारा 37(2)(ग) यदि केता उपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन विकेता को भुगतान के साथ अतिरिक्त भुगतान ऐसे कय के दिन से पांच दिन के भीतर नही करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति छठवे दिन को रद्द कर दी गई समझा जायेगी और उसे या उसके नातेदार (धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट अभिप्रेत अनुसार) को ऐसे रद्दकरण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नही की जाएगी।

(2) केता द्वारा विकेता/कृषक को किसी भी स्थिति में भुगतान हेतु चेक जारी नही किये जा सकेगे।

(3) आरीटीजीएस/एनईएफटी/ऑनलाईन बैंकिग के माध्यम से राशि विकेता/कृषक के खाते में स्थानान्तरण के प्रमाणिकरण के स्वरूप सबंधित बैंक की जमा पर्ची/रसीद व यूटीआर नम्बर संलग्न करे।

(4) विलम्ब से भुगतान की दशा में अतिरिक्त भुगतान राशि रूपये ....

सील सहित हस्ताक्षर कमीशन एजेन्ट

प्ररूप

कृषि उपज मंडी समिति.................... जिला...........................(म.प्र)

दैनिक विकय विवरण पत्रक {उपविधि की कण्डिका क. 8(8) के अंतर्गत}

नाम फर्म .... दिनांक.........................

क	अनुबंध/तौल/बिकी प्रमाणक कमांक	कृषक का नाम	जिन्स	केता का नाम	मात्रा/वजन	भाव	कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8

सील सहित हस्ताक्षर कमीशन एजेन्ट

मण्डी समिति मे सम्मेलन आहूत करने की विनिर्दिष्ट कालावधि मे मण्डी समिति द्वारा उपविधि एवं प्ररूपो को उपरोक्तानुसार संशोधित करने मे असफल रहने की स्थिति मे उपविधि एवं प्ररूप के उक्त संशोधन इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमो के उपबंधो के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनांक 15/12/2018 से मण्डी समिति पर आबद्धकर होगे।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./बी–6/नि./उपविधि संशो./36/पार्ट–4/691 भोपाल, दिनांक 05/12/2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. संयुक्त/उपसंचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपविधि मे उपरोक्त संशोधन विनिर्दिष्ट कालावधि मे नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलम्ब प्रेषित करे।
3. अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.............................जिला.............................. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। उपविधि मे उपरोक्त संशोधन विनिर्दिष्ट कालावधि मे नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन ऑचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय को अविलम्ब प्रेषित करे।
4. उपविधि संशोधन नस्ती–36/गार्ड फाइल/एमआईएस शाखा/प्रांगण शाखा।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल